

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक / /

विषय : डा० प्रदीप कारक, सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक (संविदा), नेत्र रोग विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8889(2)वि० दिनांक-24.12.1986, पत्रांक-1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार, बिहार पटना के ज्ञापांक-LR : 090720251000329, GEN No. : 0165/2025-2026 के आलोक में डा० प्रदीप कारक, सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक (संविदा), नेत्र रोग विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) डा० प्रदीप कारक की सेवानिवृत्ति की तिथि-31.07.2025 है।

(3) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० प्रदीप कारक, सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक (संविदा), नेत्र रोग विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के पक्ष में 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र प्रचार्य-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

(4) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह० / -

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-2/पेन-82/2025-

21 (2)

पटना, दिनांक 07/01/2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०मि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/ डा० प्रदीप कारक, सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापक (संविदा), नेत्र रोग विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना पत्राचार का पता-ग्राम/मोहल्ला-155-एम०आई०जी० कंकडबाग, पो०-लोहियानगर, कंकडबाग, थाना-कंकडबाग, पटना-800020/ प्रशाखा पदाधिकारी-03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी